

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18-06-2026

विषय: :- जनपद अयोध्या में निर्मित बाढ़ शरणालय भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत बाउन्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ०प्र० के पत्र संख्या:-10182/रा०आ०का०/2026-27, दिनांक 16.06.2026(प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद अयोध्या में निर्मित बाढ़ शरणालय भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत बाउन्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण हेतु आपके पत्र दिनांक 08.05.2026 द्वारा प्रस्तावित धनराशि रू० 19,38,049.31 के सापेक्ष राहत आयुक्त, उ०प्र० की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा संस्तुति की गयी धनराशि रू० 18,06,394.10 जिलाधिकारी, अयोध्या को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 11.02.2026 में प्राप्त संस्तुति एवं राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10.04.2026 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद अयोध्या में निर्मित बाढ़ शरणालय भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत बाउन्ड्री वाल एवं गेट के निर्माण हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि रू० 19.38 में से तकनीकी समिति द्वारा संस्तुत की गयी धनराशि रू० 18,06,394.10 (अट्ठारह लाख छः हजार तीन सौ चौरानबे रुपये दस पैसे मात्र) की वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDM-1, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि

गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) प्रशस्तगत प्रकरण में निविदा की प्रक्रिया E-Market के माध्यम से उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।

(3) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार लिया जायेगा।

(4) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

(5) समस्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आर्डर में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्चा में पुस्तान्वित कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के सम्वन्ध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपयोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्वन्ध में होने वाला व्यय ₹0 18,06,394.10 (अठ्ठारह लाख छः हजार तीन सौ चौरानवे रुपये दस पैसे मात्र) को चारू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250001010500-24 कृषि निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजिस्टर मिटीगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय नॉप संख्या-4/2026/बौ-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 18-06-2026
15:23:59

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या:-725(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 18-06-2026
15:50:38
(कुलदीप सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अयोध्या।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 24-06-2026

विषय: :- जनपद अयोध्या में निर्मित बाढ़ शरणालय भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल एवं गेट के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संO-725/एक-10-2026 दिनांक 18.06.2026 का कृपया सनदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विततीय वर्ष 2026-27 में जनपद अयोध्या में निर्मित बाढ़ शरणालय भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत बाउण्ड्री वाल एवं गेट के निर्माण हेतु रूO 18,06,394.10 (अट्ठारह लाख छः हजार तीन सौ चौरानबे रुपये दस पैसे मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं 3 में अंकित धनराशि रूO 18,06,394.10 (अट्ठारह लाख छः हजार तीन सौ चौरानबे रुपये दस पैसे मात्र) के स्थान पर रूO 18,06,394/- (रुपये अट्ठारह लाख छः हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) पढ़ा जाय। शेष शर्तें/बिन्दु यथावत रहेंगे एवं उक्त शासनादेश संO-725/एक-10-2026 दिनांक 18.06.2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 24-06-2026
20:41:02

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या:-758(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महसुलेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उOप्रO, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उOप्रO, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उOप्रO शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उOप्रO।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण प्रकाश)
विशेष सचिव।

—

Allotment Grld Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-25/06/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

725
001-725
51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी 1806394 वर्तमान प्रगामी 1806394	1806394 1806394
	योग	वर्तमान प्रगामी 1806394 वर्तमान प्रगामी 1806394	1806394 1806394

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया अठारह लाख छः हजार तीन सौ चौरानवे
रूपया अठारह लाख छः हजार तीन सौ चौरानवे

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

